बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य)
।। अधिसूचना ।।

संख्या–म0 / स्था0अ0रा0(अ0)–01 / 2015 (खण्ड–II) -3642 /मत्स्य, पटना, दिनांक– 12.09.2025

भारत संविधान के अनुच्छेद– 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती नियमावली, 2007" (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । – (1) **यह नियमावली "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा–भर्त्ती (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जायेगी।**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **"बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्त्ती नियमावली, 2007" के नियम–6 का प्रतिस्थापन। –** उक्त नियमावली के नियम– 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्त्ती नियमावली, 2007 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में विहित पदों पर सीधी भर्त्ती से नियुक्ति हेतु चयन के लिए अभ्यर्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के लिए अंक प्रदान किये जायेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य) के अधिसूचना संख्या 1432 दिनांक 01.10.2012 से अधिसूचित है। प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के लिए कुल निर्धारित अंक 100 होगा। इन 100 अंको का निर्धारण निम्नानुसार होगाः–

(i)	प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता	–	75 अंक
(ii)	बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित गैर–निजी संस्थान (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय आदि) में संविदा के आधार पर समान पद पर किये गये संतोषजनक कार्य अवधि के लिए अधिमानता (प्रत्येक वर्ष 5 अंक के हिसाब से अधिकतम 25 अंक एवं वर्ष के अंश के लिए अनुपातिक अंक अनुमान्य होगा)।	–	25 अंक
	कुल अंक	–	100 अंक

टिप्पणीः– (i)(क) प्रतियोगिता परीक्षा मे प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंको का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 60 x 0.75 = 45 अंक दिये जायेंगे।

टिप्पणीः– (i)(ख) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हतांक **30** प्रतिशत होगा।

3. "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्त्ती नियमावली, 2007" में नियम– 10 का प्रतिस्थापन। –उक्त नियमावली के नियम – 10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा –

10. (क) विभागीय परीक्षा–

(i) सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथा–निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

(ii) विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

(iii) नव नियुक्त सरकारी सेवकों को प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि राजभाषा निदेशालय द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् एवं अगली वार्षिक वेतनवृद्धि यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के पश्चात् अनुमान्य होगी।

(ख) सम्पुष्टि :–

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत सेवा सम्पुष्ट की जाएगी।

4. "बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्त्ती नियमावली, 2007" में नियम–6 के परिशिष्ट–I के क्रम संख्या–5 के कॉलम (2) में अधिसूचित पदों पर भर्त्ती प्रक्रिया को इस हद तक संशोधित किया जाएगा :–

मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / कनीय मत्स्य अनुसंधान पदाधिकारी / कनीय व्याख्याता सवंर्ग में नियुक्ति–

(i) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी संवर्ग के 75 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्त्ती द्वारा बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा प्रयोजनार्थ समय–समय पर, आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के परीक्षाफल के आधार पर भरा जाएगा।

(ii) शेष 25 प्रतिशत पदों को मत्स्य विकास पदाधिकारी संवर्ग के पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरा जायगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतदर्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(डॉ० एन० विजयलक्ष्मी)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : म०/स्था०अ०रा० (अ०)– 01/2015 (खंड–II) .... मत्स्य/पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : – प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : म०/स्था०अ०रा० (अ०)– 01/2015 (खंड–II) .... मत्स्य/पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : म०/स्था०अ०रा० (अ०)– 01/2015 (खंड–II) .... मत्स्य/पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना,/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना,/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार, पटना,/निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : म०/स्था०अ०रा० (अ०)– 01/2015 (खंड–II) .... मत्स्य/पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/ संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र/अनुसंधान), मीठापुर, पटना/सभी उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : म०/स्था०अ०रा० (अ०)– 01/2015 (खंड–II) 3643 मत्स्य/पटना, दिनांक 12.09.2025

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

12/9/25

सरकार के अपर सचिव